


12/12/20

पत्रावली पेश। प्रार्थी एवं विपार्थी सं.
। से 5 के वकील उपर। पत्रावली के
अवलोकन से बात होता है कि 25/11
25/11 ए R/Aक्ट का होने से सन्धापाल
के अधिकार में नहीं है। पत्रावली
उपखण्ड अधिकारी-चौहान को स्थानान्तरित
की जाती है। मूल पत्रावली उपखण्ड अधिकारी
चौहान को भेजी जावे, सन्धापाल की
सम्पत्ति में मदद।


सहायक कलेक्टर
फास्ट-ट्रेक चौहान

